

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

आदेश

क्रमांक ..... C/3779 /

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 13.08.18 से 26.09.18 तक 45 दिन का संतान पालन अवकाश स्वीकृत एवं उक्त कालावधि के बराबर अवधि तक के लिए परिवीक्षा की अवधि को बढ़ाया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार


सही / -  
(अरविन्द कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक ..... C/3780 /

जबलपुर, दिनांक 23/08/2018

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनुभाग अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक स्थापना/अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्रीमती प्रियंका दीपक तिवारी, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

  
(दीपेश तिवारी)  
रजिस्ट्रार (न्या.-दो)